न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) बाराबंकी।

जमानत आवेदन संख्या – /2026

अजय कुमार आयु लगभग 48 वर्ष पुत्र गजोधर, निवासी ग्राम सेखना पुरवा, थाना सतरिख, जिला बाराबंकी। ....अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य..अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं०–1325/2021
धारा–138(1)(b) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003,
थाना–एंटी पावर थेफ्ट, जिला– बाराबंकी।

<u>दिनांक 25.05.2026</u>

अभियुक्त अजय कुमार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि आवेदक ने कोई अपराध नही किया है। आवेदक के विरूद्ध लगाये गये आरोप जमानतीय एवं श्रीमान जी द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका और न ही अपने अधिवक्ता को सूचित कर सका, जिस कारण उसके विरूद्ध वारंट जारी कर दिया गया है। आवेदक ने कोई गलती नहीं किया है। दिनांक 24.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। आवेदक पहले से जमानत पर है। अनुरोध किया गया है कि आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर रिहा करने की कृपा करें।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया कि अभियुक्त जरिये एन०बी०डब्लू० तलब होकर दिनांक 24.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर रहा है। अपराध गैर जमानतीय है।

प्रपत्रो के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट के निष्पादन में दिनांक 24.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है। अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियो तथा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है।

अतः अभियुक्त अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मु० 20,000/– (बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क बकाया हो तो भुगतान करके दो सप्ताह में एन०ओ०सी० न्यायालय में प्रस्तुत करे।

प्रभारी विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट),
बाराबंकी।